प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

कोरम : **माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति, एवं**

माननीय श्री रंगनाथ चंद्राकर, न्यायाधीश

विविध अपील (सिविल) क्रमांक 917/2008

अपीलार्थीगण:

दावाकर्ता

1. विद्यानंद झा, पिता स्वर्गीय अनादिनाथ झा, आयु लगभग 54 वर्ष;
2. श्री श्रीमती अमिता झा, पत्नी विद्यानंद झा;
3. कु. श्रुति झा, पिता श्री विद्यानंद झा, आयु लगभग 23 वर्ष;

सभी निवासी ग्राम गहिराटोला, पुलिस थाना एवं तहसील खैरागढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

उतरवादीगण:

अनावेदकगण

1. कौशल, पिता अशोक कुमार दीक्षित, आयु लगभग 34 वर्ष, निवासी नयापारा, चकरभाठा, बिलासपुर (छ.ग.)।
2. मानक राम रेलवानी, पिता अर्जुन दास रेलवानी, निवासी बिल्हा, रेलवे क्रॉसिंग के पास, जिला बिलासपुर (छ.ग.)।
3. न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मंडल कार्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)।

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अन्तर्गत विविध अपील

उपस्थित: अपीलार्थीगण की ओर से श्री श्री आर.एन. झा, अधिवक्ता।

उतरवादी क्रमांक 3 की ओर से पंकज अग्रवाल, अधिवक्ता।

आदेश

(17 **जून**, 2011)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश **राजीव गुप्ता**, **मुख्य न्यायाधिपति** द्वारा पारित किया गया**:**

1. यह, अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, खैरागढ़, राजनांदगांव (संक्षेप में "अधिकरण") द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 69/2006 में पारित अधिनिर्णय दिनांक 29.02.2008 के विरुद्ध, प्रतिकर में वृद्धि के लिए दावाकर्ता की अपील है।

2. दिनांक 08.07.2006 को एक मोटर दुर्घटना में अपीलार्थीगण/दावेदारगण, जो मृतिका मेधा झा के दुर्भाग्यपूर्ण माता-पिता और बहन हैं, द्वारा मोटरयान अधिनियम की धारा 166 के तहत दावा याचिका दायर करके ₹7,50,000/- के प्रतिकर की मांग की गई थी, जिसमें अधिकरण ने ₹1,37,000/- की कुल राशि प्रतिकर के रूप में, दावा याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान की तिथि तक 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित, अधिनिर्णीत की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अधिकरण ने अपने समक्ष प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य के सूक्ष्म अवलोकन कर यह अभिनिर्धारित किया कि मृतिका मेधा झा की मृत्यु दिनांक 08.07.2006 को मोटर दुर्घटना में उसे लगी चोटों के कारण हुई; दुर्घटना दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन स्कॉर्पियो जीप, जिसका पंजीकरण क्रमांक CG-10BC/1888 है, के चालक द्वारा लापरवाही और उपेक्षापूर्ण चालन के कारण हुई; कि चूंकि उपर्युक्त दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन दुर्घटना की तारीख पर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ बीमाकृत था, और बीमा कंपनी पॉलिसी की शर्तों का कोई उल्लंघन स्थापित नहीं कर सकी, इसलिए बीमा कंपनी दावाकर्ताओं को प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी थी।

4. चूंकि उत्तरवादीगण ने अधिनिर्णय के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है, इसलिए अधिकरण द्वारा अभिलिखित उपर्युक्त निष्कर्षों ने अब अंतिमता प्राप्त कर ली है।

5. अधिकरण ने मोटरयान अधिनियम की धारा 163-क के तहत द्वितीय अनुसूची में निर्धारित आनुमानिक आय के आधार पर मृतिका की आय ₹15,000/- प्रति वर्ष निर्धारित की । मृतिका के व्यक्तिगत व्यय के लिए ₹15,000/- में से 1/3 भाग की कटौती करके, दावाकर्ताओं की आश्रितता ₹10,000/- प्रति वर्ष निर्धारित की गई। ₹10,000/- की वार्षिक आश्रितता को 11 के गुणक से गुणा करके, प्रतिकर ₹1,10,000/- निकाला गया। अन्य शीर्षों के तहत अधिनिर्णित करके, अधिकरण ने मोटर दुर्घटना में मृतिका मेधा झा की मृत्यु के लिए दावाकर्ताओं को प्रतिकर के रूप में कुल ₹1,37,000/- की राशि अधिनिर्णीत की। अधिकरण ने आगे निर्देश दिया कि प्रतिकर की उपर्युक्त राशि पर दावा याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से लेकर भुगतान तक 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.एन. झा ने यह तर्क किया कि अधिकरण ने केवल ₹1,37,000/- का कम प्रतिकर अधिनिर्णीत करने में त्रुटि की है, जबकि मृतिका मेधा झा एक मेधावी छात्रा थी और उसका उज्जवल भविष्य था।

7. उत्तरवादी क्रमांक 3, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन स्कॉर्पियो जीप की बीमाकर्ता है, के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज अग्रवाल ने, दूसरी ओर, यह तर्क दिया कि चूंकि मृतिका मेधा झा के पास दुर्घटना की तिथि पर अपनी कोई स्वतंत्र आय नहीं थी, इसलिए अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत ₹1,37,000/- का प्रतिकर न्यायसंगत और उचित है।

8. एक मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण में, महत्वपूर्ण यह है कि न्यायालयों/अधिकरणों द्वारा अधिनिर्णीत किया जाने वाला प्रतिकर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायसंगत और उचित होना चाहिए। यह न तो प्रतिकर की अल्प राशि होनी चाहिए और न ही कोई अप्रत्याशित लाभ।

9. अब, हम यह परीक्षण करेंगे कि क्या अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत ₹1,37,000/- का प्रतिकर वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायसंगत और उचित प्रतिकर है।

10. मृतिका मेधा झा दुर्घटना की तिथि पर लगभग 17 वर्ष की थी। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, वह प्री-मेडिकल टेस्ट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। दावेदारगण उसके माता-पिता हैं, जिनकी आयु लगभग 52 और 45 वर्ष है, और उसकी बहन है जिसकी आयु लगभग 19 वर्ष है।

11. अधिकरण ने मोटरयान अधिनियम की धारा 163-क के तहत द्वितीय अनुसूची में निर्धारित आनुमानिक आय के आधार पर मृतिका की आय ₹15,000/- प्रति वर्ष निर्धारित की है।

12. अधिनियम की धारा 163-क, जिसके तहत 1994 में द्वितीय अनुसूची पुरःस्थापित की गई थी, इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> **"[163क. संरचाना सूत्र के आधार पर प्रतिकर के संदाय की बाबत विशेष उपबंध**- (1) इस अधिनियम में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या विधि का बल रखने वाली किसी लिखत में किसी बात के होते हुए भी, मोटर यान का स्वामी या प्राधिकृत बीमाकर्ता, मोटर यान के उपयोग से हुई दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु या स्थायी निःशक्तता की दशा में, यथास्थिति, विधिक वारिस या आहत व्यक्ति को, दूसरी अनुसूची में उपवर्णित प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी होगा।
>
> स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, "स्थायी निःशक्तता" का वही अर्थ और विस्तार है जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) में है।
>
> (2) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के लिए किसी दावे में, दावाकर्ता से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह यह अभिवचन करे या यह सिद्ध करे कि वह मृत्यु या स्थायी निःशक्तता जिसकी बाबत दावा किया गया है, संबंधित यान या यान के स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति के दोषपूर्ण कार्य या उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण हुई थी।

(3) केन्द्रीय सरकार, जीवन निर्वाह की लागत को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर दूसरी अनुसूची का संशोधन कर सकेगी।"

13. धारा 163-क की उपर्युक्त उद्धृत उप-धारा (3) ने केंद्र सरकार को निर्वाह-व्यय को ध्यान में रखते हुए द्वितीय अनुसूची में समय-समय पर संशोधन करने के लिए बाध्य किया है।

14. चूंकि केंद्र सरकार अधिनियम की धारा 163-क की उप-धारा (3) में यथा-उपबंधित द्वितीय अनुसूची में संशोधन करने में विफल रही है, इसलिए न्यायालय/अधिकरण वर्ष 1994 में द्वितीय अनुसूची के पुरःस्थापन और दिए गए मामले में दुर्घटना की तिथि के बीच की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कीमतों और निर्वाह-व्यय में वृद्धि की न्यायिक अवेक्षा कर सकते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. अब वर्तमान मामले पर वापस आते हैं, वह दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना जिसमें मृतिका मेधा झा ने अपना जीवन खो दिया, वह वर्ष 2006 में हुई थी। यदि 1994 और 2006 के बीच आवश्यक वस्तुओं की कीमतों और निर्वाह-व्यय में वृद्धि को ध्यान में रखा जाता है, तो 1994 में निर्धारित ₹15,000/- की आनुमानिक आय 2006 में निश्चित रूप से ₹36,000/- हो जाएगी। इसलिए, हम मृतिका की आय ₹36,000/- प्रति वर्ष लेते हुए प्रतिकर की पुनर्गणना करने का प्रस्ताव करते हैं।

16. यह विचार करते हुए कि मृतिका मेधा झा अविवाहित थी; कि दावेदार उसके पिता, माता और बहन हैं; और उसके पिता की सरकारी सेवा में होने के कारण अपनी स्वतंत्र आय थी, हमारी यह राय है कि **सैयद बशीर अहमद बनाम मोहम्मद जमील (2009) 2 एससीसी 225** और **सरला वर्मा बनाम डीटीसी (2009) 6 एससीसी 121** के प्रकरणों में उच्चतम न्यायालय की इतरोक्तियों को ध्यान में रखते हुए, व्यक्तिगत व्यय के लिए आय का 50% कटौती करना उपयुक्त होगा। ₹36,000/- में से 50% की कटौती करके, आश्रितता ₹18,000/- प्रति वर्ष निर्धारित की जाती है।

17. यह विचार करते हुए कि दावेदार मृतक के माता-पिता और बहन हैं, **ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम बनाम लक्ष्मण अईयर [(2003) 8 एससीसी 731**] के प्रकरण की इतरोक्ति को ध्यान में रखते हुए 10 का गुणक उपयुक्त होगा, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ऐसे प्रकरण जहाँ दावेदार मृतक के माता पिता हो वहाँ गुणक 10 से कभी अधिक नहीं होना चाहिए।

18. ₹18,000/- की वार्षिक आश्रितता को 10 के गुणक से गुणा करके, प्रतिकर ₹1,80,000/- निकाला जाता है। दावेदार इसके अतिरिक्त अंतिम संस्कार व्यय के लिए ₹5,000/-; और संपत्ति की हानि के लिए ₹5,000/- प्राप्त करने के हकदार हैं। इस प्रकार, दावेदार मोटर दुर्घटना में मृतिका मेधा झा की मृत्यु के लिए प्रतिकर के रूप में कुल ₹1,90,000/- की राशि प्राप्त करने के हकदार हो जाते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं ने निवेदन किया कि दावाकर्ताओं को प्रतिकर की बढ़ी हुई राशि पर जिस अवधि के लिए ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है, उस संबंध में उभयपक्ष के बीच किसी भी संभावित विवाद से बचने के दृष्टिकोण से, प्रतिकर की बढ़ी हुई राशि पर ब्याज की राशि को इस अपील में ही निर्धारित किया जावे।

20. प्रकरण के सभी सुसंगत पहलुओं पर विचार करते हुए, जिसमें दावा याचिका और वर्तमान अपील के निपटारे में हुई देरी और यह तथ्य भी शामिल है कि मामले में हुई संपूर्ण देरी के लिए केवल बीमा कंपनी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, हम ₹53,000/- की बढ़ी हुई प्रतिकर की राशि पर ब्याज की राशि को ₹7,000/- निर्धारित करते हैं।

21. उपर्युक्त कारणों से, प्रतिकर की वृद्धि के लिए अपीलार्थियों/दावाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत ₹1,37,000/- के प्रतिकर को ₹1,90,000/- तक बढ़ाया जाता है, जिसमें ₹53,000/- की बढ़ी हुई प्रतिकर की राशि पर ₹7,000/- की निर्धारित ब्याज की राशि और भी शामिल है।

22. उत्तरवादी क्रमांक 3, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को, कुल ₹60,000/- (प्रतिकर की बढ़ी हुई राशि के लिए ₹53,000/- + ₹53,000/- की बढ़ी हुई प्रतिकर की राशि पर ब्याज की निर्धारित राशि के लिए ₹7,000/) की राशि संबंधित दावा अधिकरण के समक्ष जमा करने के लिए तीन माह का समय दिया जाता है।

23. वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया गया है।

सही/- सही/-

मुख्य न्यायाधिपति आर.एन. चंद्राकर

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Malay Jain